157

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1987–एक/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–9–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 504/अपील/2003–04

———

प्रभुलाल आत्मज सीतारामजी
निवासीग्राम जमुनिया मीणा तहसील व जिला मंदसौर.

.....आवेदक

विरूद्ध

1– रामकन्याबाई पति प्रभुलालजी
निवासी ग्राम मीणा तहसील व जिला मंदसौर
2– मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

———

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक, आवेदिका

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जमुनियामीणा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 15, 19, 107 कुल रकबा 0.909 हेक्टेयर भूमि उसके पिता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि पर उसके पिता के स्थान पर अनावेदक कमांक 1 के नाम नामान्तरण स्वीकृत हुआ था, परन्तु

पटवारी द्वारा अमल नहीं किये जाने के कारण उक्त भूमि पर अपना नामान्तरण करा लिया गया है अतः आवेदक का नामान्तरण निरस्त कर अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण 43/अ–6/02–03 दर्ज कर दिनांक 29–9–2003 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2–8–2004 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण में पूर्व में पारित नामान्तरण आदेशों के क्रम में विधिवत् जॉच की जाकर गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर 9–9–2005 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मृतक भूमिस्वामी का दत्तक पुत्र है इस कारण उसके नामान्तरण हो चुका है और एक बार नामान्तरण होने के पश्चात् दुबारा नहीं खोला जा सकता है अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा संहिता के प्रावधानों को समझे बगैर आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में हुये नामान्तरण आदेश को अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, अतः वह अंतिम हो गया है और ऐसे आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है । अनावेदिका रामकन्या मूल भूमिस्वामी की पुत्री है । स्पष्ट है कि प्रकरण में पूर्ण जॉच की आवश्यकता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

इस संबंध में 1982 आर.एन.36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा –50 – समवर्ती निष्कर्ष – अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर